



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 19/2015/स्कूल बोर्ड/04 (1) / 788

तिथि: 16.11.2015

अधिसूचना

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (संशोधित) के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार भाषा-विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड (School Board) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जा सकता है

1	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ/ विभागाध्यक्ष, भाषा अध्ययन विभाग	अध्यक्ष
2	प्रो. विजय कुमार कौल	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग	सदस्य
3	डॉ. अनिल कुमार पांडेय	एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा अध्ययन विभाग	सदस्य
4	श्री जगदीप सिंह दांगी	एसोशिएट प्रोफेसर, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र	सदस्य
5	डॉ. रवि कुमार	सहायक प्रोफेसर, भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र	सदस्य
6	डॉ. पीयूष प्रताप सिंह	सहायक प्रोफेसर, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र	सदस्य
7	डॉ. धनजी प्रसाद	सहायक प्रोफेसर, भाषा अध्ययन विभाग	सदस्य
8	डॉ. अरिमर्दन कु. त्रिपाठी*	भूतपूर्व विद्यार्थी	सदस्य
9	प्रो. अवधेश नारायण मिश्र (बाह्य विषय विशेषज्ञ)	काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
10	प्रो. कवि नारायणमूर्ति (बाह्य विषय विशेषज्ञ)	केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद (तेलंगाना)	सदस्य

* विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्र.19/2014/स्कूल बोर्ड/भा.विद्या./04/337 दि.05.05.15 के अनुसार कार्यकाल 04.05.17 तक है।

पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति: सभी संबंधित ।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
4. संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ को बाह्य विषय विशेषज्ञों को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)